रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 281] नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 1974/आषाढ 5, 1896
No. 281] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 1974/ASADHA 5, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATIONS

INSURANCE

New Delhi, the 26th June 1974

S.O. 388(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Emergency Risks (Goods) Insurance Act, 1971 (50 of 1971), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 5483, dated the 10th December, 1971, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Emergency Risks (Goods) Insurance (Second Amendment) Scheme, 1974.

(2) It shall come into force on the 1st day of July, 1974.

2. In the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme, for paragraph 10 the following paragraph shall be substituted, namely:—

"10. *Rate of Premium.*—(1) The premium payable under any policy of insurance in respect of the quarter ending on the 30th day of September, 1974 shall,—

(a) in the case of a policy in force on the 30th day of June, 1974, be nil;

(b) in the case of all new policies, including supplementary policies to the existing ones, be at the rate of six paise for every hundred rupees or any part thereof of the sum insured, subject to a maximum of twenty-five rupees.

(2) Where the amount of any premium payable under clause (b) of sub-paragraph (1) involves a fraction of a rupee, the premium shall be rounded off to the nearest rupee. The premium shall be payable in one lump sum in respect of the entire quarter for which the policy is or is continued in force:

Provided that if any goods become insurable or are insured under this Scheme after the commencement of the quarter the premium shall be payable in one lump sum, which shall be equivalent to the amount payable in respect of goods insurable during the entire quarter reduced by an amount which bears to the first mentioned amount the same proportion as the number of completed months in that quarter before the goods become insurable or are insured bears to three, the actual amount due in accordance with this proviso if it involves a fraction being rounded off to the nearest rupee".

[No. F. 66(1)-INS I /73-I]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

बीमा

नई दिल्ली, 26 जून, 1974

का०आ० 388 (अ).— केन्द्रीय सरकार आपात जोखिम (माल) बीमा [अधिनियम, 1971 (1971 का 50) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 5483, तारीख 10 दिसम्बर, 1971 के साथ प्रकाशित आपात जोखिम (माल) बीमा स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात :—

1.(1) इस स्कीम का नाम आपात जोखिम (माल) बीमा (द्वितीय संशोधन) स्कीम, 1974 है ।

(2) यह स्कीम जुलाई, 1974 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी ।

2. आपात जोखिम (माल) बीमा स्कीम में पैरा 10 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात् :—

10 प्रीमियम की दर.—(1) 30 सितम्बर, 1974 को समाप्त होने वाली तिमाही की बाबत किसी बीमा-पालिसी के अधीन देय प्रीमियम,—

(क) 30 जून, 1974 को प्रवृत्त बीमा पालीसी की दशा में, शून्य होगा ;

(ख) सभी नई पालिसियों की दशा में, जिसके अन्तर्गत विद्यमान पालिसियों की अनुपूरक पालिसियां भी आती हैं, बीमाकृत राशि के प्रत्येक सौ रुपए या उसके किसी भाग के लिए पच्चीस रुपए की अधिकतम सीमा में रहते हुए छह पैसे की दर पर देय होगा ।

(2) जहां उप पैरा (1) के खण्ड (ख) के अधीन देय किसी प्रीमियम की रकम में एक रुपए का कोई भाग अन्तर्वलित है, तो प्रीमियम निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा । उस सम्पूर्ण तिमाही के सम्बन्ध में जिसके लिए पालिसी प्रवृत्त है या प्रवृत्त रखी जाती है, प्रीमियम एक मुश्त राशि में देय होगा :

परन्तु यदि कोई माल किसी तिमाही के प्रारम्भ होने के पश्चात् इस स्कीम के अधीन बीमा-योग्य या बीमाकृत हो जाता है, तो प्रीमियम एकमुश्त राशि में देय होगा, जो उस रकम के समतुल्य है जो सम्पूर्ण तिमाही के दौरान बीमायोग्य माल की बाबत देय है और जिसमें ऐसी रकम कम कर दी गई हो जिसका प्रथम उल्लिखित रकम से वही अनुपात होगा जो कि उस तिमाही में माल के बीमायोग्य होने या बीमाकृत किए जाने से पूर्व सम्पूरित मासों की संख्या का तीन से हो, इस उपबन्ध के अनुसार, यदि इसमें कोई भाग आता हो, शोध्य रकम को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जायेगा ।"

[सं० फा० 66(1)-बीमा 1/73-I]

S.O. 389(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 3 of the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Act, 1971 (51 of 1971), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Scheme published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 5486, dated the 10th December, 1971, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Emergency Risks (Undertakings) Insurance (Second Amendment) Scheme, 1974.

(2) It shall come into force on the 1st day of July, 1974.

2. In the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Scheme, for paragraph 8 the following paragraph shall be substituted, namely:—

"8. *Rate of Premium.*—(1) The premium payable under any policy of insurance in respect of the quarter ending on the 30th day of September, 1974 shall,—

(a) in the case of a policy in force on the 30th day of June, 1974, be nil;

(b) in the case of all new policies, including supplementary policies to the existing ones, be at the rate of ten paise for every hundred rupees or any part thereof of the sum insured, subject to a maximum of twenty-five rupees.

(2) Where the amount of any premium payable under clause (b) of sub-paragraph (1) involves a fraction of a rupee, the premium shall be rounded off to the nearest rupee. The premium shall be payable in one lump sum in respect of the entire quarter for which the policy is or is continued in force:

Provided that if any undertaking becomes insurable or is insured under this Scheme after the commencement of the quarter the premium shall be payable in one lump sum, which shall be equivalent to the amount payable in respect of undertakings insurable during the entire quarter reduced by an amount which bears to the first mentioned amount the same proportion as the number of completed months in that quarter before the undertaking becomes insurable or is insured bears to three, the actual amount due in accordance with this proviso if it involves a fraction being rounded off to the nearest rupee."

[No. F. 66(1)-INS I./73-II]

R. D. THAPAR, Addl. Secy.

का०आ० 389 (अ).— केन्द्रीय सरकार, आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 51) की धारा 3 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 5486, तारीख, 10 दिसम्बर, 1971 के साथ प्रकाशित आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1.(1) इस स्कीम का नाम आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (द्वितीय संशोधन) 1974 है ।

(2) यह स्कीम जुलाई, 1974 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी ।

2. आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा स्कीम में पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात् :—

"8. **प्रीमियम की दर**—(1) 30 सितम्बर, 1974 को समाप्त होने वाली तिमाही की बाबत किसी बीमा-पालिसी के अधीन देय प्रीमियम —

(क) 30 जून, 1974 को प्रवृत्त बीमा पालिसी की दशा में, शून्य होगा ;

(ख) सभी नई पालिसियों की दशा में, जिसके अन्तर्गत विद्यमान पालिसियों की अनुपूरक पालिसियों भी हैं, बीमाकृत राशि के प्रत्येक सौ रुपए या उसके किसी भाग के लिए पच्चीस रुपए की अधिकतम सीमा में रहते हुए, दस पैसे की दर पर देय होगा ।

(2) जहां उपपैरा (1) के खण्ड (ख) के अधीन देय किसी प्रीमियम की रकम में एक रुपए का कोई भाग आता है, तो प्रीमियम निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जायेगा । उस सम्पूर्ण तिमाही के सम्बन्ध में जिसके लिए पालिसी प्रवृत्त है या प्रवृत्त रखी जाती है, प्रीमियम एकमुश्त राशि में देय होगा ;

परन्तु यदि कोई उपक्रम किसी तिमाही के प्रारम्भ होने के पश्चात् इस स्कीम के अधीन बीमा योग्य या बीमाकृत हो जाता है, तो प्रीमियम एकमुश्त राशि में देय होगा, जो उस रकम में समतुल्य है जो सम्पूर्ण तिमाही के दौरान बीमायोग्य उपक्रम की बाबत देय है और जिसमें से ऐसी रकम कम कर दी गई हो जिसका प्रथम उल्लिखित रकम से वही अनुपात होगा जो उस तिमाही में उपक्रम के बीमायोग्य होने या बीमाकृत किये जाने से पूर्व सम्पूरित मासों की संख्या का तीन से हो, इस उपबन्ध के अनुसार, यदि इसमें कोई भाग आता हो, शोध्य रकम को निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा ।"

[सं० फा० 66 (1)-बीमा I/73-II]

आर० डी० थापर, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974